(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 177 **नई दिल्ली**, 23 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 54 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश का अनुपालन करते हुए, और उक्त अधिनियम की धारा 48 और 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार तैयार चीनी और दालों के भंडारण के लिए विलंबशुल्क प्रभार/लाइसेंस शुल्क संशोधित करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों और वहाँ पर प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के दरमान संशोधित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/29/2009–विविध

आदेश

(सितम्बर, 2009 के 22 वें दिन पारित)

पत्तन क्षेत्र में चीनी और दालों के मामले में प्रभारित विलंबशुल्क प्रभार/लाइसेंस शुल्क संशोधित करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार ने अपने आदेश सं. पीटी–11033/46/2009–पीटी दिनांक 21 अगस्त, 2009 द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54 के अधीन इस प्राधिकरण को एक निदेश जारी किया था। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने 25 अगस्त, 2009 को एक आदेश पारित किया था जिसे राजपत्र सं. 158 द्वारा 25 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. अब, पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अपने आदेश सं. पीटी–11033/46/2009–पीटी दिनांक 17 सितम्बर 2009 द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन चीनी और दालों के मामले में विलंबशुल्क प्रभारों/लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए अपने पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 21 अगस्त 2009 के अतिक्रमण में जनहित में एक आदेश जारी किया है।

3. तदनुसार, चीनी और दालों के मामले में भंडारण प्रभार/लाइसेंस शुल्क संशोधित किए गए हैं जैसाकि निम्नलिखित संशोधित अनुसूची में दिए गए हैं:–

अनुसूची

क्र.सं.	विवरण		प्रभार
1.	तैयार चीनी और दालें (आयात)		
	(i).	निःशुल्क अवधि	पत्तन में यथा लागू
	(ii).	निःशुल्क अवधि के बाद 21 दिनों तक (निःशुल्क अवधि सहित)	पत्तन में यथा लागू
	(iii).	21 दिनों के बाद	पत्तन में लागू दर का चार गुणा।

टिप्पणीः (i). निःशुल्क अवधि में सीमाशुल्क अवकाश और पत्तनों के गैर–कार्यदिवस शामिल नहीं हैं।

(ii). निःशुल्क अवधि उतराई के पूरा होने के दिन से शुरू होगी।

(iii). ये दरें पीली दालों और कच्ची चीनी पर लागू नहीं होंगी, जोकि 25 अगस्त, 2009 से पहले पत्तनों में लागू दरों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

4. सभी महापत्तन न्यासों और वहाँ पर निजी टर्मिनलों को उनके दरमान तदनुसार संशोधित करने का निदेश दिया जाता है।

5. तैयार चीनी और दालों के मामले में संशोधित विलंबशुल्क प्रभार/लाइसेंस शुल्क भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना से तत्काल प्रभावी होंगे और 31 मार्च, 2010 तक अथवा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगी।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष